AFR

**छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर**

**द्वितीय अपील क्रमांक– 320/2018**

**निर्णय 09/10/2020 को सुरक्षित किया गया ।**

**निर्णय 27/10/2020 को प्रदान किया गया ।**

रोहित कुमार, उम्र 23 वर्ष पिता विष्णु साहू, निवासी ग्राम– पिपरछेडी, तहसील राजिम, जिला– रायपुर छ०ग०

..... **अपीलार्थी/वादी**

**–// विरुद्ध //–**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

1. कृष्णा बाई पति अधर साहू (फौत) द्वारा विधिक वारिसान :–
   (बी)– बल्लू साहू उर्फ मानसिंह साहू पिता अधर साहू, उम्र लगभग 40 वर्ष (वर्तमान में)
2. अधर साहू पिता श्री रामचरण साहू, उम्र लगभग 55 वर्ष
   दोनों निवासी ग्राम– पिपरौद, तहसील अभनपुर, जिला रायपुर छ०ग०
3. विष्णु पिता बोधन साहू, उम्र लगभग 58 वर्ष,
   निवासी ग्राम– पिपरछेडी, तहसील राजिम, जिला– रायपुर छ०ग०
4. छ.ग.शासन द्वारा, जिलाध्यक्ष रायपुर, जिला–रायपुर छ०ग०

.....**प्रतिवादीगण**

---

अपीलार्थी की ओर से श्री : श्री सिध्दार्थ दुबे अधिवक्ता ।
प्रतिवादी क्रं. 1 से 3 द्वारा : कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं ।
प्रतिवादी क्रं 4 छ.ग.राज्य द्वारा : श्री रवि भगत, उपजिला शासकीय अधि० ।

---

**माननीय श्री न्यायमूर्ति संजय के.अग्रवाल**

**सी.ए.वी.निर्णय**

1. अपीलार्थी/वादी द्वारा प्रस्तुत यह द्वितीय अपील, निम्नलिखित महत्वपूर्ण विधि प्रश्न पर दिनांक 25/09/2018 को सुनवाई के लिए स्वीकार की गई :–

> क्या निचली दोनों अदालतें वादी के मुकदमे को खारिज करने और प्रतिवादी संख्या 1 के प्रति दावे को स्वीकार करने में न्यायसंगत थीं, जिसमें इस तथ्य की अनदेखी करते हुए एक विपरीत निष्कर्ष दर्ज किया गया कि अपीलकर्ता/वादी (बिक्री की तिथि पर नाबालिग) के स्वामित्व वाली संपत्ति उसके प्राकृतिक अभिभावक यानी प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा 14/06/1996 (एक्स. पी/1) को हिंदू नाबालिग और संरक्षकता अधिनियम, 1956 की धारा 8(2) का उल्लंघन करते हुए अदालत की पूर्व अनुमति के बिना बेची गई थी, जिससे अधिनियम 1956 की धारा 8(3) के तहत बिक्री शून्य हो गई? " (सुविधा के लिए, पक्षों को उनके मुकदमे की स्थिति के अनुसार नीचे दर्शाई गई रैंकिंग में संदर्भित किया जाएगा।)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2. वादी/अपीलार्थी की संपत्ति जो गांव पिपरछेडी, तहसील राजिम, जिला रायपुर में स्थित थी, मूल रूप से वादी/अपीलार्थी द्वारा उसके अल्पवयस्कता के दौरान स्वामित्व में थी, लेकिन उक्त संपत्ति को उसके पिता यानी प्रतिवादी क्रमांक 3 ने दिनांक 14/06/1996 को पंजीकृत विक्रय पत्र (प्र०पी०–1) के माध्यम से विक्रय कर प्रतिवादी क्रमांक 1 को उस पर शांतिपूर्ण अधिकार उसका कब्जा सौंप दिया बताया गया है ।

3. वादी ने दिनांक 29.06.2006 को पूर्व में कब्जा और स्थायी निषेधाज्ञा बाबत एक वाद प्रस्तुत किया था जिसमें यह कहा था कि उसके पिता को पैसों की आवश्यकता थी, तो उन्होनें प्रतिवादी क्रमांक 2 से सपंर्क किया और 10,000/– रूपये का ऋण प्राप्त किया और बाद में दिनांक 14/06/1996 को पंजीकृत विक्रय पत्र के माध्यम से प्रतिवादी क्रमांक 1 के पक्ष में विक्रय विलेख निष्पादित किया, ताकि ऋण के लिए सुरक्षा प्रदान की जा सके, इसलिए प्रतिवादी क्रमांक 1 को उस विक्रय विलेख प्र०पी०–1 के आधार पर संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं है और प्रतिवादी क्रमांक 1 एवं 2 ने कभी भी संपत्ति पर कब्जा नहीं किया । वादी ने यह भी कहा कि संपत्ति उसकी अल्पवयस्कता के दौरान उसके पास थी और उसके पिता अर्थात प्रतिवादी क्रमांक 3 को इस संपत्ति को प्रतिवादी क्रमांक 1 के पक्ष में दिनांक 14/06/1996 के विक्रय विलेख को केवल ऋण की

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सुरक्षा के लिए निष्पादित किया गया था अर्थात नाम मात्र विलेख मानते हुए उसे रदद करने के लिए उपयुक्त घोषित करने का अधिकार रखता है और उसे कब्जा और स्थायी निषेधाज्ञा की भी मांग की है ।

**4.** इस वाद का विरोध करते हुए प्रतिवादी क्रमांक 1 एवं 2 ने अपने लिखित जवाबदावा में कहा गया कि वादी के पिता अर्थात प्रतिवादी क्रं 3 ने दिनांक 14/06/1996 को विक्रय पत्र प्र०पी०–1 के माध्यम से प्रतिवादी क्रमांक 1 के पक्ष में 12,000/– रूपये नकद मूल्य में संपत्ति का विक्रय विलेख निष्पादित किया और इसके बाद प्रतिवादी क्रमांक 1 एवं 2 ने संपत्ति पर कब्जा किया । उन्होंने यह भी प्रतिदावे में उल्लेख किया है कि विक्रय विलेख प्र०पी०–1 कभी भी ऋण की सुरक्षा के लिए नहीं था, बल्कि यह एक वास्तविक और पूर्ण विक्रय था । संपत्ति का पूरा अधिकार प्राप्त हो गया है इसलिए वादी के वाद को खारिज किया जाना चाहिए । वहीं प्रतिवादी क्रमांक 3 ने अपने लिखित कथन में वादी का समर्थन किया है ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

**5.** विचारणीय न्यायालय ने अभिलेख पर मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्यों का मूल्यांकन करने के बाद, वादी के वाद को खारिज कर दिया और प्रतिवादी क्रमांक 1 एवं 2 के प्रतिदावे को स्वीकार किया और दिनांक 20/02/2007 के अपने निर्णय और डिक्री से यह अभिनिर्धारित किया कि दिनांक 14/06/1996 प्र०पी० 1 एक वास्तविक विक्रय पत्र है, ना कि नाम मात्र विक्रय

पत्र । विचारण न्यायालय ने यह भी कहा कि वादी ने विक्रय पत्र को चुनौती नहीं दी है और न ही इसकी निरस्तीकरण की मांग की है ।

**6.** वादी द्वारा अपील किए जाने पर, प्रथम अपीलीय न्यायालय ने विचारण न्यायालय के निर्णय और डिक्री को सही ठहराया और अपील को खारिज किया । जिसके विरूद्ध अपीलकर्ता/वादी द्वारा व्यवहार प्रकिया संहिता की धारा 100 के तहत यह व्दितीय अपील प्रस्तुत की है जिसमें विधि का एक महत्वपूर्ण प्रश्न तैयार किया है और इस निर्णय के प्रथम पैराग्राफ में इसका उल्लेख किया है ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

**7.** वादी/अपीलार्थी की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता श्री सिद्धार्थ दुबे ने कहा कि नीचली दोनों अदालतों ने वादी की मुकदमें को इस तथ्य की अनदेखी करते हुए खारिज करने में एक साथ गलती की है कि वादी के नाबालिग होने के बावजूद उसके पिता अर्थात प्रतिवादी क्रमांक 3 को कानूनी आवश्यकता के बिना मुकदमें की संपत्ति को अलग करने का कोई अधिकार या हक नहीं था और यह भी हिन्दू अल्पवयस्कता और संरक्षता अधिनियम 1956 की धारा 8(2) के तहत निहित प्रावधानों के मददेनजर सक्षम न्यायालय की पूर्व अनुमति प्राप्त किये बिना, उक्त विक्रय पत्र प्र०पी० 01 शून्यकरणीय है, जिसे वादी ने कब्जे के साथ साथ घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा के लिए वाद दायर कर उसे चुनौती दी है । इसलिए यह अपील स्वीकार की जानी चाहिए और विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं

डिक्री को निरस्त किया जाना चाहिए । जिसके संबंध में **अगरबाई विरूद्ध राजेन्द्र कुमार** एवं सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय–**सरोज बनाम सुंदर सिंह** अवलोकनीय है ।

**8.** प्रतिवादी क्रमांक 1 से 3 नोटिस तामिली उपरांत न्यायालय में अनुपस्थित हैं । उनकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं है ।

**9.** हिन्दू अल्पवयस्कता और संरक्षता 1956 की धारा 8(2)और 2(3) (जिसे अब 1956 का अधिनियम कहा जाता है) इस प्रकार है :–

**"8. प्राकृतिक संरक्षक की शक्तियां या अधिकार–** (1) XXX

(2) प्राकृतिक संरक्षक, बिना न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना, –

(क) अल्पवयस्क के किसी अचल संपत्ति को गिरवी नहीं रखेगा, या शुल्क नहीं लगाएगा, या विक्रय, दान, विनिमय या किसी अन्य तरीके से हस्तांतरण नहीं करेगा या

(ख) ऐसी संपत्ति को पांच वर्षों से अधिक के लिए या अवयस्क या वयस्क होने की तारिख से एक वर्ष से अधिक के लिए पटटे पर देना।

(3) यदि कोई प्राकृतिक संरक्षण द्वारा इस प्रकार की कोई अचल संपत्ति का निपटारा करता है, जो धारा 8(1) या 8(2) का उल्ल्घंन करता है, तो यह अमान्य होगा और इसे अल्पवयस्क या उसके अधिकारों के तहत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा चुनौती दी जा सकती है । "

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. इस प्रकार 1956 के अधिनियम की धारा 8(2) के तहत, किसी अल्पवयस्क की कोई अचल सपंत्ति न्यायलय की पूर्व अनुमति के बिना विक्रय, दान, विनिमय या अन्यथा तरीके से स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है और धारा 8 (3) के तहत यदि कोई प्राकृतिक संरक्षक इस प्रकार की संपत्ति को निपटारा करता है तो यह अल्पवयस्क या उसके अधिकारों के तहत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा चुनौती दी जा सकती है ।

11. **सरोज** (सुप्रा) के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों ने स्पष्ट रूप से माना है कि पिता (संपत्ति के स्वामी) की मृत्यु के पश्चात, बेटियों की माँ द्वारा उनकी जीविका, भरण–पोषण, शिक्षा और विवाह की आवश्यकता के लिए अचल संरक्षक के स्वाभाविक हिस्से के रूप में संपत्ति की बिक्री के लिए, 1956 के अधिनियम की धारा 8(2) के तहत न्यायालय की पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है और यदि ऐसा नहीं किया गया है, तो बिक्री के लेन–देन को रद्द करने के लिए बेटियों द्वारा वयस्क होने के पश्चात मुकदमा दायर किया जाना चाहिए। उक्त निर्णय के पैराग्राफ 13 और 14 में निम्न बातें कही गई हैं:–

> "13. वर्तमान मामले में, हालांकि यह कहा गया है कि संपत्ति नाबालिगों के उचित लाभ, उनकी सुरक्षा, शिक्षा और विवाह के लिए बेची गई है, लेकिन रिकॉर्ड पर ऐसा कुछ भी नहीं है जो यह

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सुझाव दे कि प्रश्नगत बिक्री द्वारा हस्तांतरण से पहले प्राकृतिक संरक्षक द्वारा न्यायालय की पूर्व अनुमति प्राप्त की गई थी।

14. जहां पिता केवल नाबालिग बेटियों और उनकी मां को प्राकृतिक संरक्षक के रूप में छोड़कर मर जाता है, बेटियों का हिस्सा निश्चित हो जाता है; संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति के चरित्र को बनाए रखते हुए पारिवारिक विभाजन का सवाल मौजूद नहीं है। वर्तमान मामले में, पिता की मृत्यु के बाद, संपत्ति परिवार के प्रत्येक सदस्य के बीच साझा की गई है और म्यूटेशन रजिस्टर में दर्ज की गई है, जिसमें प्रत्येक का 1/4 हिस्सा है। ऐसी परिस्थितियों में, धारा 8 की उपधारा (3) का प्रावधान लागू होगा क्योंकि मां ने न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना संपत्ति बेची थी। इसलिए, पहले प्रतिवादी के पक्ष में दूसरे प्रतिवादी द्वारा निष्पादित दोनों बिक्री विलेख नाबालिग यानी अपीलकर्ता और प्रोफॉर्मा प्रतिवादी 4 और 5 के कहने पर शून्य हो जाएंगे।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12. इस मामले में 1956 के अधिनियम की धारा 8(2) और 8(3) के संदर्भ में और इस न्यायालय के **अगरबाई**(सुप्रा) निर्णय को देखते हुए, उच्चतम न्यायालय के **सरोज** (सुप्रा) निर्णय का पालन करते हुए जब इस वाद के तथ्यों का

सावधानीपूर्वक अध्यय किया जाता है तो यह स्पष्ट होता है कि वादी ने विक्रय पत्र दिनांक 14/06/1996 प्र०पी० 1 के निरस्तीकरण की कोई मांग नहीं की है । शिकायत में प्रार्थना खण्ड इस प्रकार ः–

"18. यह कि, वादी माननीय न्यायालय से निम्न अनुतोष की मांग करता है–

(1) यह कि ग्राम पीपरछेडी, प.ह.न. 11, तहसील राजिम, जिला रायपुर छ०ग० स्थित कृषि भूमि खसरा नंबर 127, 123, 320 रकबा क्रमशः 0.13, 0.04 एवं 0.04 हेक्टेयर जो नाबालिग रोहित कुमार के स्वामित्व एवं कब्जा की भूमि थी को प्रतिवादी क्रमांक 3 के द्वारा प्रतिवादी क्रमांक 1 के पक्ष में प्रतिवादी क्रमांक 3 द्वारा प्रतिवादी क्रमांक 2 से लिए गए ऋण के एवज में नामांतरण कर विक्रय पत्र दिनांक 14/06/1996 से प्रतिवादी क्रमांक 1 को कोई हक हासिल नहीं होता है माननीय न्यायालय यह घोषित करे।

(2) यह कि, दिनांक 14/06/1996 को प्रतिवादी क्रमांक 3 द्वारा प्रतिवादी क्रमांक 1 के पक्ष में निष्पादित दस्तावेज (विक्रय पत्र) वादी पर बंधनकारी नहीं है तथा दाविया भूमि

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

खसरा नंबर 127, 123, 320 रकबा क्रमशः 0.13, 0.04 एवं 0.04 हेक्टेयर लगान 0.60 पैसे भूमि वादी के स्वत्व की है, माननीय न्यायालय आज्ञप्ति वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध पारित करे ।

(3) यह कि, विवादित भूमि जो उपरोक्त कंडिका 1 में वर्णित इस भूमि का कब्जा वादी को प्रतिवादी क्रमांक 1 से दिलायी जावे।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(4) यह कि उपरोक्त विवादित भूमि के वाद लंबन काल में प्रतिवादी क्रमांक 1 कृषि कार्य कर लाभ अर्जित कर रही है, वह कीमती करीब 10,000/– (अक्षरी दस हजार रूपये) है । वह राशि जब तक वादी को कब्जा प्राप्त न हो तब प्राप्ति वर्ष 10,000/– रूपये अतःकालीन लाभ वादी को प्रतिवादी क्रमांक 1 से दिलायी जावे ।

(5) यह कि, दाविया भूमि खसरा नंबर 127, 123, 320 रकबा क्रमशः 0.13, 0.04 एवं 0.04 हेक्टेयर स्थित ग्राम पीपरछेडी, प.ह.न. 11, तहसील राजिम, जिला रायपुर में प्रतिवादी क्रमांक 1 एवं 2 को दखल, कब्जा एवं अन्य किसी

भी प्रकार से किसी दीगर के द्वारा हस्तक्षेप करने से हमेशा–हमेशा के लिए रोका जावे । ऐसा आज्ञप्ति माननीय न्यायालय प्रतिवादी क्रमांक 1 एवं 2 के विरूद्ध पारित करें ।

(6) वाद व्यय एवं अन्य सहायता जो माननीय न्यायालय उचित समझे दिलाई जावे । ”

13. विचारणीय प्रश्न यह है, क्या वादी द्वारा दिनांक 14/06/1996 के विक्रय विलेख (प्र०पी०–1) को रदद करने की अनुतोष की मांग किये बिना, उसके द्वारा दावा किए गए अनुतोषों का हकदार है?

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

14. यहां संबंधित मुददा अब नया नहीं रह गया है । उच्चतम न्यायालय ने **<u>विशम्भर एवं अन्य बनाम लक्ष्मीनारायण (फौत) एल.आर. एवं अन्य</u>** के मामले में स्पष्ट रूप से यह निर्णय दिया है कि 1956 की धारा 8(3) के अनुसार लेनदेन शून्य नहीं बल्कि शून्यकरणीय होते हैं, परंतु केवल नाबालिग के द्वारा ही उन्हें चुनौती दी जा सकती है । इसके अलावा यह भी माना गया है कि संरक्षक द्वारा किये गये विक्रय को रदद करने के लिए नाबालिग को बालिग होने की तिथि से 03 वर्ष के भीतर वाद दर्ज करना आवश्यक है । जैसा कि परिसीमा अधिनियम 1963 के अनुच्छेद 60 में उल्लेख किया गया है । निर्णय के पैरा 9 में कहा गया है कि :–

“9. प्रश्न यह उठता है कि ऐसे मामले में क्या संपत्ति का स्थानांतरण शून्य

होगा या शून्यकरणीय ? हिन्दू अल्पसंख्यकता एवं संरक्षता अधिनियम 1956 की धारा 8(2) में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि स्वाभाविक संरक्षक बिना न्यायालय की पूर्व अनुमति के नाबालिग की अचल संपत्ति को बेच नहीं सकता । इसी अधिनियम की धारा 8(3) में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि यदि स्वाभाविक संरक्षक द्वारा अचल संपत्ति का कोई भी स्थानांतरण धारा 8(2) का उल्लघंन करते हुए किया गया हो, तो वह नाबालिग या उसके उत्तराधिकारी द्वारा अमान्य घोषित कराया जा सकता है । इसलिए, इस बात मे कोई संदेह नहीं रह जाता है कि लक्ष्मीबाई द्वारा की गई विक्रय प्रक्रिया जो इस वाद में चुनौती दी गई है,नाबालिग (वादी) के लिए शून्यकरणीय थी । यदि वादी इस विक्रय को निरस्त करवाना चाहते थे और संपत्ति पुनः प्राप्त करना चाहते थे, तो उन्हें पहले इन विक्रय विलेखों को निरस्त करवाना आवश्यक है । हालांकि, प्रांरभ में दर्ज वाद में विक्रय विलेखों के निरस्त करने की कोई प्रार्थना नहीं थी । यह प्रार्थना केवल मुकदमें की सुनवाई के दौरान संशोधन के माध्यम से जोडी गई थी । विचारण न्यायालय ने संशोधित प्रार्थना पत्र पर विचार करते हुए इस आधार पर निर्णय लिया कि यदि कानून के अनुसार वादियों को विक्रय विलेख को निरस्त करवाये बिना संपत्ति का दावा नहीं किया जा सकता था तो इस प्रकार बिना ऐसी प्रार्थना के दर्ज वाद का कोई लाभ वादियों को नहीं मिल सकता था । संभावित रूप से इस कठिनाईयों को

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

महसूस करते हुए, वादियों ने अपना वाद संशोधित करते हुए विक्रय विलेखों को निरस्त करने की प्रार्थना जोडी लेकिन यह बहुत देर से किया गया । वादी क्रमांक 2, दिगम्बर 05/08/1975 को बालिग हो गया था, जबकि वादी क्रमांक 1 विशम्भर 20/07/1978 को बालिग हुआ । यद्यपि वाद 30 नवंबर को दर्ज किया गया गया था लेकिन विक्रय विलेखों को निरस्त करने की प्रार्थना दिसम्बर 1985 में की गई । परिसीमा अधिनियम की अनुच्छेद 60 के अनुसार किसी संरक्षक द्वारा की गई संपत्ति विक्रय को चुनौती देने के लिए नाबालिग को बालिग होने की तिथि से केवल 03 वर्षों की अवधि होती है । चूंकि इस मामले में परिसीमा की अवधि वाद दर्ज करने से पहले समाप्त हो चुकी थी, इसलिए विचारण न्यायालय ने दिगम्बर द्वारा दर्ज वाद को सही तरीके से खारिज कर दिया गया । दिगम्बर ने विचारण न्यायालय के निर्णय को चुनौती नहीं दी, भले ही यह तर्क दिया जाए कि चूंकि एक वादी द्वारा दर्ज वाद समय सीमा के भीतर था, इसलिए पूरा वाद परिसीमा के आधार पर खारिज नहीं किया जाना चाहिए था लेकिन दिगम्बर द्वारा अपने वाद की खारिजी की चुनौती न देने के कारण, प्रथम अपीलीय न्यायालय इस हिस्से में विचारण न्यायालय के निर्णयों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती थी । जहां तक विशम्भर द्वारा दर्ज वाद की बात है । यह परिसीमा अवधि के भीतर दर्ज किया गया था, लेकिन प्रारंभ में विक्रय विलेखों को रदद करने की कोई प्रार्थना नहीं की गई थी । चूंकि बेची गई संपत्ति को

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

पुनः अधिग्रहण बिना विक्रय विलेख को निरस्त नहीं किया जा सकता था, इसलिए प्रारंभ में दर्ज् किया गया वाद वैध नहीं था । दिसम्बर 1985 में जब वादपत्र में संशोधन कर विक्रय विलेखों को रदद करने की प्रार्थना जोडी गई, तब तक परिसीमा अवधि समाप्त हो चुकी थी । ऐसी परिस्थिति में वादपत्र में किया गया संशोधन वादी के पक्ष में सहायक नहीं हो सकता था ।"

15. उच्चतम न्यायालय द्वारा **विशम्भर** (सुप्रा) के मामले में स्थापित विधि के सिद्धांत को उच्चतम न्यायालय ने **नगाली अम्मा भवानी बनाम गोपाल कृष्णन नायर एवं अन्य** के मामले में अनुमोदन के साथ अपनाया है और इसे इस प्रकार अभिनिर्धारित किया है :

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

> **"7"** लेकिन अपीलार्थी/वादी के अधिवक्ता ने यह तर्क सही रूप से प्रस्तुत करते है कि उच्च न्यायालय ने 1956 की अधिनियम की धारा 8 के प्रावधानों की गल व्याख्या की है । धारा 8(1) किसी हिन्दू नाबालिग के प्राकृतिक अभिभावक को यह अधिकार प्रदान करती है कि वह नाबालिग के हित में या उसकी संपत्ति की प्राप्ति, संरक्षण या लाभ के लिए सभी आवश्यक, उचित एवं लाभकारी कार्य कर सके लेकिन उसमें दो या अपवाद दिए गए है, जिनमें से एक धारा 8(2) में उल्लेखित है । धारा 8(2) यह स्पष्ट करती है कि

स्वाभाविक अभिभावक बिना न्यायालय की पूर्व अनुमति के, नाबालिग की अचल संपत्ति का विक्रय सहित किसी भी प्रकार का हस्तांतरण नहीं कर सकता । इस प्रावधान के उल्लंघन का प्रभाव धारा 8(3) में विनिर्दिष्ट किया गया है, जो इस प्रकार हैं:–

**"8. (3)** यदि कोई स्वाभाविक अभिभावक धारा 8 (1)या धारा 8 (2)का उल्लंघन करते हुए किसी अचल संपत्ति का हस्तांतरण करता है तो यह लेन–देन नाबालिग या उसक उत्तराधिकारी द्वारा अमान्य घोषित करवाया जा सकता है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. इस स्पष्ट भाषा को देखते हुए यह स्पष्ट है कि यदि कोई स्वाभाविक अभिभावक धारा 8(2) का उल्लंघन करते हुए कोई लेनदेन करता है, तो वह शून्य नहीं बल्कि केवल अमान्यनीय होगा और उसके केवल नाबागिग द्वारा ही चुनौती दी जा सकती है । यदि यह माना जाए कि धारा 8(2) का उल्लंघन करने वाला कोई लेनदेन शून्य है तो यह न केवल अधिनियम की स्पष्ट भाषा के विपरीत होना बल्कि यह नाबालिक को इस अधिकार से भी वंचित कर देगा कि वह बालिग होने के बाद उस लेनदेन को स्वीकार या अनुमोदित कर सके । इस न्यायालय ने विश्म्भर बनाम लक्ष्मीनारायण के मामले में यह

स्पष्ट रूप से कहा है कि ऐसे लेनदेन शून्य नहीं बल्कि केवल शून्यकरणीय होते हैं । साथ ही यह निर्धारित किया गया है कि यदि नाबालिग किसी लेनलेदन को अमान्य घोषित करवाना चाहता है तो उसे परिसीमा अधिनियम के अनुच्छेद 60 के तहत निर्धारित अवधि के भीतर मुकमदा दर्ज करना आवश्यक होगा । उच्च न्यायालय ने परिसीमा से संबंधित इस मुददे पर विचार ही नहीं किया, क्योंकि उसने धारा 8 (2) के उल्लंघन के प्रभाव को लेकर एक गलत निष्कर्ष निकाला था । चूंकि उच्च न्यायालय का यह निष्कर्ष विधिक रूप से अस्थिर है इसलिए विवादित निर्णय को निरस्त किया जाना आवश्यक है ।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

16. उच्चतम न्यायालय के **विशम्भर** (सुप्रा) मामले मे दिए गए निर्णय को हाल ही में केरल उच्च न्यायालय के **थकोमणि अम्मा पदमकुमारी अम्मा एवं अन्य बनाम गणपति सुरेश एवं अन्य**[5] के मामले में अपनाया है । इसमें यह निर्धारित किया गया है कि नाबालिग की सपंत्ति का विक्रय अधिनियम 1956 की धारा 8 के अनुसार केवल शून्यकरणीय होता है और उसके अभिभावक द्वारा चुनौती दी जा सकती है, किंतु यदि नाबालिग, वयस्क होने के बाद दर्ज किए गए वाद से विक्रय दस्तावेजों को अमान्य

घोषित करने का कोई अनुरोध नहीं करता तो अधिनियम की धारा 8(3) के अंतर्गत उपलब्ध विकल्प का प्रयोग करने हेतु इस प्रकार का वाद स्वीकार्य नहीं होगा । न्यायालय के निर्णय के पैरा 7 में यह कहा गयाः–

> **"7.** विधिक स्थिति को संक्षेप में इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है कि यदि कोई नाबालिग अपनी अचल संपत्ति के हस्तांतरण को अमान्य घोषित करवाना चाहता है तो उसे संबंधित दस्तावेज को रदद करने के लिए वाद दर्ज करना आवश्यक है । यदि नाबालिग, वयस्क् होने के बाद धारा 8 (3) के अंतर्गत अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए लेनदेन को अमान्य घोषित करवाना चाहता है तो स्थानांतरण के दस्तावेज को रदद करने के लिए वाद दर्ज करना होगा । इस मामले में, वाद में दस्तावेज को रदद करने के लिए कोई अनुरोध शामिल नहीं किया गया था । अतः यह वाद स्वाभाविक रूप से स्वीकार्य नहीं है । इसके अतिरिक्त, यह वाद वयस्क्ता प्राप्त करने के सात वर्ष बाद दर्ज किया गया था । यदि कोई प्राकृतिक अभिभावक या नाबालिग का प्रतिनिधित्व करने वाला कोई अन्य व्यक्ति बिना न्यायालय की अनुमति के,

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

संपत्ति का हस्तांतरण करता है तो ऐसे दस्तावेज को रदद करने के अनुरोध के बिना धारा 8(3) के तहत कोई वाद स्वीकार्य नहीं होगा । यह विक्रय दस्तावेज को रदद करने के लिए कोई अनुरोध नहीं किया जा सकता । धारा 8(3) के अंतर्गत उपलब्ध विकल्प के प्रयोग हेतु संपत्ति के हस्तांतरण को चुनौती देने के लिए लेनदेन को रदद करने का अनुरोध करना अनिवार्य है । अतः परिसीमा अवधि वही होगा जो संपत्ति हस्तांतरण दस्तावेज को रदद करने के लिए उपलब्ध होती है । हालांकि परिसीमा अधिनिमय के अनुच्छेद 60 में एक अलग प्रावधान दिया गया है, जिसके अनुसार किसी अभिभावक द्वारा नाबालिग की संपत्ति का स्थानांतरण रदद करनवाने हेतु वयस्क्ता प्राप्त करने की तारिख तीन वर्ष की सीमा होती है । अतः धारा 8 (3) के तहत विकल्प के प्रयोग हेतु वाद दर्ज करने की अधिकतम अवधि तीन वर्ष है न कि बारह वर्ष, और इसी कारण यह वाद परिसीमा की दृष्टि से पूरी तरह अस्वीकृत है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

17. वर्तमान मामले में लौटते हुए, यह स्पष्ट है कि वादी ने दिनांक

14/06/1996 प्र०पी०–1 की विक्रय विलेख को रदद करने का अनुरोध नहीं किया है । इसके बजाए, उसने केवल यह घोषणा करने की मांग की है कि विक्रय विलेख केवल ऋण की सुरक्षा के उददेश्य से निष्पादित किया गया एक नाममात्र का दस्तावेज है जिसे प्रतिवादी संख्या द्वारा निष्पादित किया गया था और इसलिए यह विक्रय विलेख प्र०पी०–1 वादी पर बाध्यकारी नहीं है । हालांकि वादी को परिसीमा अधिनियम के अनुच्छेद 60 (क) के अंतर्गत निर्धारित अवधि के भीतर विक्रय विलेख प्र०पी०–1 को रदद करने का अनुतोष अनिवार्य रूप से मांगना चाहिए था, जो उसने नहीं मांगी है । परिणाम स्वरूप जिस प्रकार से यह वाद दर्ज किया गया है वह उचित रूप से गठित नहीं है क्योंकि इसमें विक्रय विलेख प्र०पी०–1 को रदद करने की माग नहीं की गई है । उसे विक्रय विलेख को रदद कराने की मांग करनी चाहिए थी क्योंकि यदि किसी अवयस्क की संपत्ति को संरक्षक कोई विक्रय करता है तो वह विक्रय अवयस्क के लिए उक्त अधिनियम 1956 की धारा 8(3) के तहत निरस्तीकरण योग्य होती है । उक्त विक्रय को वयस्क होने के बाद परिसीमा लिखित अधिनियम के अनुच्छेद 60 (क) मे निर्धारित सीमा अवधि के भीतर विक्रय विलेख को रदद कराने की मांग करके चुनौती दी जा सकती है । इस प्रकार दोनों विचारण न्यायालयों में वाद को खारिज करने में

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उचित निर्णय दिया गया है और उनके द्वारा दिए गए निष्कर्ष न तो असंगत है और न ही अभिलेख के विपरीत है । मुझे इस अपील में कोई ऐसा आधार नहीं दिखाई देता है जिससे इस न्यायालय के सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 100 के तहत हस्तक्षेप करना चाहिए ।

**18.** व्दितीय अपील, गुण–दोष से रहित होने के कारण, खारिज किये जाने योग्य है तथा तदनुसार खारिज किया जाता है । लागत (व्यय) के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया गया ।

**19.** तदनुसार डिक्री तैयार की जावे ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

**सही/–**
**(संजय के.अग्रवाल)**
**न्यायाधीश**

**छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर**

**द्वितीय अपील क्रमांक– 320/2018**

**अपीलार्थी/वादी** रोहित कुमार

***विरुद्ध***

**प्रतिवादीगण** कृष्णा बाई एवं अन्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

/10/2020 को निर्णय की घोषणा के लिए पोस्ट ।

**न्यायाधीश**

/10/2020

**अस्वीकरणः** हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**